कोर्ट केस

संख्या-1/2016/212/26-1-2016-सक-1

प्रेषक,

मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।

2- समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।

3- समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

समाज कल्याण अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: 21 जनवरी 2016

विषय: मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु मार्ग-निर्देश ।

महोदय,

अपर महाधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक मेमों/पी0एस0 -एएजी-एच0सी0/2016, दिनांक 14-01-2016 के अनुसार अवमाननावाद संख्या 6660/2015 सत्यदेव पाण्डेय व अन्य बनाम श्री जितेन्द्र कुमार व अन्य में दिनांक 12-01-2016 को सुनवाई के दौरान मा0 उच्च न्यायालय द्वारा योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय के पारित आदेश का समय से एवं समुचित अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु विस्तृत निर्देश देते हुये मुख्य सचिव के स्तर से प्रदेश सरकार के सभी विभागों, वैधानिक निगमों, स्थानीय निकायों, विकास प्राधिकरणों व राज्य के विश्वविघालयों आदि से अपेक्षा की गयी है कि उनके द्वारा उनसे सम्बन्धित रिट याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय के पारित आदेशों के क्रम में समयबद्ध एवं समुचित कार्यवाही की जाय। तत्सम्बन्ध में समस्त सम्बन्धित से निम्नवत् कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है:-

1- प्रदेश सरकार के समस्त विभागों, वैधानिक निगमों/स्थानीय निकायों/ विकास प्राधिकरणों/राज्य के विश्वविघालयों आदि में मा0 उच्च

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

न्यायालय स्तर पर अपने विभाग से नामित नोडल अधिकारियों के माध्यम से योजित रिट याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश/निर्देश के क्रम में अनुमन्य/निर्धारित समयान्तर्गत शपथ पत्र दाखिल कराना सुनिश्चित करें।

2- सभी विभाग जिनके द्वारा मा0 उच्च न्यायालय स्तर पर योजित रिट याचिकाओं में पैरवी हेतु नोडल अधिकारी नहीं नियुक्त किया गया है, उनके द्वारा तत्काल नोडल अधिकारी की नियुक्ति कर दी जाय। नोडल अधिकारी को यह स्पष्ट निर्देश दिये जायं कि उनके द्वारा अपने विभाग से सम्बन्धित प्रकरणों में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने हेतु दैनिक आधार पर मा0 उच्च न्यायालय की वेबसाइट आदि से प्रकरणों के स्टेटस का नियमित अनुश्रवण किया जाय तथा मा0 उच्च न्यायालय में मुख्य स्थायी अधिवक्ता कार्यालय व सम्बन्धित प्रकरण के लिये नामित स्थायी अधिवक्ता के सम्पर्क में बने रहकर केस की समुचित पैरवी एवं अनुश्रवण करें तथा सम्बन्धित विभागीय अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

3- सभी विभागों विशेष कर वैधानिक निगमों/स्थानीय निकायों/विकास प्राधिकरणों/राज्य के विश्वविघालयों आदि से सम्बन्धित प्रकरणों जहां अधिकांश मामलों में प्रदेश सरकार के नीतिगत विषय सम्मिलित होते हैं, उनमें राज्य सरकार को समुचित सूचना के बिना प्रतिवाद किया जा रहा है और कुछ मामलों में अत्यन्त गम्भीर विसंगति एवं जटिलता उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार की विसंगति एवं जटिलता न हो, अत: उचित होगा कि ऐसे मामलों में सम्बन्धित विभागों विशेषकर वैधानिक निगमों/स्थानीय निकायों/ विकास प्राधिकरणों/राज्य के विश्वविघालयों आदि मा0 उच्च न्यायालय स्तर पर अपने लीगल पैरोकार को प्रकरण से सम्बन्धित सूचना मा0 उच्च न्यायालय स्तर पर नामित नोडल अधिकारी (जो राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता भी हो सकते हैं) को नामित/आबद्ध कर दें और उनके समुचित मार्ग-निर्देश/परामर्श प्राप्त कर कार्यवाही करें ताकि प्रकरण में प्रभावी ढंग से अनुश्रवण करते हुये राज्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सरकार द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष समुचित पक्ष प्रस्तुत किया जा सके।

4- राज्य सरकार के विभिन्न विभागों तथा विभिन्न वैधानिक निगमों/स्थानीय निकायों/विकास प्राधिकरणों/राज्य के विश्वविघालयों आदि के नोडल अधिकारियों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय से विभिन्न वादों में पारित अन्तरिम आदेश/अन्तिम निर्णय से सम्बन्धित प्रकरणों में सतत अनुश्रवण किया जाय तथा तत्काल सम्बन्धित प्रकरणों में विभागाध्यक्ष को एवं राज्य सरकार को तत्सम्बन्ध में अनुपालन/कार्यवाही हेतु सूचित किया जाय। इस सम्बन्ध में अपर महाधिवक्ता/मुख्य स्थायी अधिवक्ता से भी सम्बन्धित मामलें में मा0 उच्च न्यायालय के अन्तरिम आदेश/अन्तिम निर्णय के नियमानुसार अनुपालन में होने वाली कठिनाई की स्थिति से अवगत कराते हुये तत्सम्बन्ध में अपील/रिव्यू/रिकाल या अन्य समुचित लीगल रेमिडी के बारे में मार्ग-निर्देश लेकर कार्यवाही शीघ्र की जाय ।

5- मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश/निर्णय के सम्बन्ध में नोडल अधिकारियों के स्तर से त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करना आवश्यक है ताकि तत्सम्बन्ध में विभाग द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेश का समय से अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके अथवा नियमानुसार अनुपालन किया जाना सम्भव न होने की स्थिति में समय से अपील/रिव्यू /अन्य विधिक उपाय सम्बन्धित कार्यवाही की जा सके और मा0 उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना जैसी विपरीत स्थिति उत्पन्न न हो।

6- सभी विभागों तथा विभिन्न वैधानिक निगमों/स्थानीय निकायों/विकास प्राधिकरणों/राज्य के विश्वविघालयों आदि द्वारा उनके विभागों से सम्बन्धित प्रकरणों में समुचित पैरवी सुनिश्चित करने तथा विभिन्न वादों में मा0 उच्च न्यायालय के पारित आदेशों के क्रम में समय से शपथ पत्र/प्रति शपथ पत्र दाखिल कराने एवं समय से सम्बन्धित आदेश का अनुपालन/अन्य वांछित कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु नोडल

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अधिकारियों को यह स्पष्ट निर्देश दे दिये जायं कि यदि उनके स्तर पर सम्बन्धित प्रकरणों में उक्त बिन्दुओं पर कार्यवाही किये जाने में शिथिलता पायी जाती है और यह स्पष्ट होता है कि इनकी लापरवाही के कारण सम्बन्धित प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश का समय से अनुपालन न होने से शासकीय धनराशि की क्षति हुई है तो ऐसे प्रकरणों में सम्बन्धित नोडल अधिकारी का दायित्व निर्धारित करते हुये उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय ।

7- मा0 उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित आदेशों का समय से अनुपालन सुनिश्चित कराने/तत्सम्बन्ध में अन्य विधिक वांछित कार्यवाही कराना सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यक है कि मा0 उच्च न्यायालय स्तर पर विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारी/पैरवी हेतु उत्तरदायी अधिकारी तत्काल सम्बन्धित प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश/निर्णय के सम्बन्ध में अपने विभाग के सक्षम अधिकारी/सम्बन्धित प्रकरण में अनुपालन/अन्य कार्यवाही हेतु अधिकृत अधिकारी को अनिवार्यत: समुचित माध्यम से सूचित करना सुनिश्चित करेंगें तथा मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रति भी अनिवार्यत: उन्हें उपलब्ध करायेंगें ।

8- अधिकांश प्रकरणों जहां मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों से प्रकरण में आदेश के अनुपालन में कार्यवाही अपेक्षित है या तत्सम्बन्ध में अन्य विधिक कार्यवाही यथा अपील/ रिव्यू/रिकाल आदि के सम्बन्ध में समय से कार्यवाही की जानी है, न करने के कारण लम्बित है। अधिकांश मामलों में मा0 उच्च न्यायालय के पारित आदेश के विरूद्ध समय अपील/रिव्यू आदि दाखिल न होने के कारण खारिज कर दिया जाता है और सम्बन्धित प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश का भी अनुपालन नहीं हो पाता है, फलस्वरूप अत्यन्त असहज स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसे प्रकरणों में नोडल अधिकारी/पैरवी हेतु उत्तरदायी अधिकारी त्वरित एवं प्रभावी ढंग से यह सुनिश्चित करेंगें कि या तो ऐसे प्रकरणों में मा0 उच्च न्यायालय के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

आदेशों का समय से अनुपालन हो अथवा अन्य विधिक वांछित कार्यवाही समय से सुनिश्चित हो । आकरण एवं अनौचित्यपूर्ण विलम्ब के प्रकरणों में सम्बन्धित अधिकारियों के उत्तरदायित्व का निर्धारण करते हुये उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाय।

9- ऐसे प्रकरणों जिनमें अवमानना की कार्यवाही प्रारम्भ हो गयी है और अवमानना की नोटिस सम्बन्धित अधिकारियों को भेजी जा चुकी है, उनमें विभाग/कार्यालय के सम्बन्धित अधिकारी तत्काल नोडल अधिकारी से सम्पर्क करेगें तथा अपर महाधिवक्ता/मुख्य स्थायी अधिवक्ता आदि से सम्पर्क कर सम्बन्धित प्रकरण में उनसे यथापेक्षित परामर्श लेकर या तो समय से मा0 उच्च न्यायालय द्वारा सम्बन्धित प्रकरण में पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेगें या नियमानुसार आदेश का अनुपालन न हो पाने की स्थिति में अन्य विधिक वांछित कार्यवाही समय से सुनिश्चित करेगें।

10- जिन प्रकरणों में अवमानना नोटिस विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष/ सम्बन्धित अधिकारी को प्राप्त हो चुकी है उनमें सम्बन्धित अधिकारी का यह दायित्व है कि या तो उसमें समय से मा0 उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुये मा0 उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार शपथ पत्र दाखिल हो जाय या यदि किसी विशेष आकस्मिकता की स्थिति में शपथ पत्र दाखिल किया जाना सम्भव नहीं है तो शपथ पत्र दाखिल करने की छूट/समय बढाने आदि का उल्लेख करते हुये समुचित शपथ पत्र समय से दाखिल किया जाय।

11- अधिकारियों के व्यक्तिगत उपस्थिति के प्रकरण में यह आवश्यक है कि सम्बन्धित अधिकारी समुचित अनुपालन शपथ पत्र/प्रति शपथ पत्र के साथ व्यक्तिगत रूप से समय से मा0 उच्च न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित करें और यदि किसी प्रकरण में उपस्थिति में कोई व्यक्तिगत कठिनाई है तो मा0 उच्च न्यायालय में उपस्थिति में छूट के लिये प्रार्थना के साथ शपथ पत्र निर्धारित तिथि को प्रस्तुत किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न प्रकरणों में पारित आदेशों/निर्देशों का समय से अनुपालन सुनिश्चित कराने/तत्सम्बन्ध में अन्य विधिक वांछित कार्यवाही सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में अपेक्षा है कि उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय जिससे किसी भी प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश/निर्देश का समय से अनुपालन न होने की स्थिति में प्रदेश सरकार या किसी अधिकारी को अनावश्यक किसी विपरीत स्थिति का सामना न करना पड़े ।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव

संख्या-1/2016/212(1)/26-1-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अपर महाधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को उनके उपर्युक्त पत्रांक-मेमों/पी0एस0-एएजी-एच0सी0/2016, दिनांक 14-01-2016 के क्रम में सूचनार्थ।

2- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद/लखनऊ।

आज्ञा से

(सुनील कुमार)
प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in